भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 9/2026.– दि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ श्राइन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025

हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009 की धारा 8 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा। 2010 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12403—L.R.—H.G.P., Pkl.